भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2222**

**12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न**

**ईपीओएस प्रणाली को बढ़ावा देना**

**2222. श्री थरानिर्वेथन एम. एस.:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) प्रणाली के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य में ऐसी कितनी उचित दर दुकानों को अब तक ईपीओएस प्रणाली का उपयोग करके सफलतापूर्वक स्वचालित किया गया है;

(ख) क्या ईपीओएस प्रणाली के आरंभ होने से तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ईपीओएस प्रणाली शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करे और लाभार्थियों को उनके हक का खाद्यान्न और अन्य राजसहायता प्राप्त वस्तुएं बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सकें;

(घ) क्या उचित दर दुकानों में ईपीओएस प्रणाली के कार्यान्वयन में तकनीकी मुद्दों, कनेक्टिविटी की समस्या अथवा डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो सरकार इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार कर रही है; और

(ड.) तमिलनाडु में सभी उचित दर दुकानों को शामिल करने के लिए ईपीओएस प्रणाली का विस्तार करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के तहत, वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में सभी 34,805 उचित दर दुकानों को ईपीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित किया गया है ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों का निर्बाध वितरण किया जा सके। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार हुआ।

...2/-

**(ग) और (घ):** कुछ राज्यों में दूरदराज के स्थानों/शैडो/बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में उचित दर दुकानों (एफपीएस) पर ईपीओएस उपकरणों के लिए इंटरनेट/कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग से इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, लाभार्थियों को किसी भी इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का सामना किए बिना, प्रचालनात्मक ईपीओएस उपकरण युक्त किसी भी एफपीएस से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत अपने पात्रता के खाद्यान्न का उठान का अधिकार दिया गया है। ईपीओएस उपकरणों में सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑफलाइन पद्धति में कार्य करने की कार्यक्षमता होती है। ईपीओएस उपकरणों को ऑफ़लाइन ईपीओएस डाटा को पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ सिंक करने के लिए समय-समय पर नेटवर्क क्षेत्र में आना पड़ता है।

ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण करने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के माध्यम से अपनी पात्रता के खाद्यान्न का उठान करने के लिए लाभार्थियों के बीच किसी विशेष डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों को स्थानीय भाषा में ईपीओएस मुद्रित लेनदेन रसीदें प्रदान की जाएं, इसके साथ ही उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे जाएं।

**(ङ.):** वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में सभी 34,805 उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों के निर्बाध वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित किया गया है।

*****